रूचि की अभिव्यक्ति

दिनांक:-30/09/2019

रेल प्रशासन द्वारा "नए एवं अभिनव विचार एवं परिकल्पना योजना के तहत कार्य करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है, इक्छुक व्यक्ति/संस्था/पंजीकृत फर्म आदि ऐसे कार्यो को करने हेतु अपने विचार एवं परिकल्पना रेल प्रशासन को प्रस्तुत कर सकते है जो की रेल प्रशासन एवं प्रस्तावक के लिए परस्पर लाभदायी हो।

कार्य का विवरण :-जबलपुर मंडल में पार्सल पैकजो के परिवहन में उपयोग किये जाने हेतु ई-रिक्शा संचालन एवं विज्ञापन का अधिकार प्रदान करना ।

प्रस्ताव निम्न शर्तो के आधीन विचारणीय होगा।

1. प्रस्तावक द्वारा ई- रिक्शा के वाह्य आवरण पर विज्ञापन (निर्धारित माप के अनुसार)के साथ ही ई-रिक्शा के संचालन का कार्य भी किया जायेगा।
2. जबलपुर मंडल के 05 लोकेशनो (जबलपुर,कटनी, सतना, रीवा एवं सागर)में कुल 13 ई –रिक्शा का संचालन प्रतिदिन तीनो पालियों में किया जाना है। यह गाड़ी सम्बंधित पार्सल कार्यालय से सभी प्लेटफार्म के मध्य चलायी जाएगी।
3. प्रस्तावित कार्य की अवधि 01 वर्ष होगी तत्पश्चात उस समय लागु नियमो के अनुसार वृद्धि भी की जा सकती है।
4. प्रस्तावक को यह स्पस्ट करना होगा कि वह सिर्फ विचार प्रस्तुत करना चाहता है या उसे कार्यान्वित भी करेगा।
5. प्रस्ताव के स्वीकार/ अस्वीकार/ परिवर्तन पर पूर्ण रूप से रेल.प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं प्रस्तावक पर वाध्यकारी होगा, प्रस्ताव की स्वीकृत होने पर समय-समय पर रेल प्रशासन द्वारा जारी नियम व शर्ते लागू होंगी।

उक्त आधार पर इक्छुक व्यक्ति/संस्था/पंजीकृत फर्म आदि अपने विचार एवं परिकल्पना रेल प्रशासन के समक्ष विस्तृत प्रस्ताव के रूप में दिनांक 20/10/2019 तक प्रस्तुत कर सकते है, इस सम्बन्ध मे अधिक जानकारी हेतु मंडल रेल प्रवंधक कार्यालय/जबलपुर के वाणिज्य शाखा में कार्यालयीन दिवस व समय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते है।

(मनोज कुमार गुप्ता)
वरि. मंडल वाणिज्य प्रबन्धक / कोचिंग
जबलपुर